

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 1, से 17 तक

ftyk dk; bde vf/kdkjh]
vkbDI hOMhO, I O fi Fkkj kx<+

महिला I 'kfDr dj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
वर्ष 2012—13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkI u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 1

I xBu dh fof' kf"V; kã dR; vkšj drD;

ftyk dk; ðæ vf/kdkjh]
vkbDI hOMhO, I O fi Fkkšj kx<+

efgyk I 'kfDrdj.k , oa cky fodkl foHkkx
mRrjk[k.M I jdkj
वर्ष 2012—13

v/; k; &, d

I æBu dh fof'kf"V; kã dR; vkš drD;

Ok"z 2001 ea efgyk I 'kDrhdj.k , ð cky fodkl foHkkx dh LFkki uk jkT; dh efgykvka , ð ckydka ds I okãh.k fodkl ds dk; kã dks vko'; d xfr inku djus ds mnñs; I s dh xbA I a kxo'k I a Ør jk"Vª I a k }kj 2001 dks vlrj k"Vh; efgyk I 'kDrhdj.k o"z ?kks'kr fd; k x; k Fkka jkT; I jdkj ds iæq[k vfHkdj.k ds : i ea foHkkx }kj , s h ; kstukvka] ufr; kã dk; dæka dk fu/kkZ.k , ð fØ; kUo; u fd; k tk jgk gš tks efgykvka , ð ckydka dh ixfr I fuf'pr djš I kFk gh bl {ks= ea I jdkjh , ð xš I jdkjh iz; kl ka ds e/; I elo; Hkh foHkkx }kj LFkkr fd; k tkrk gA if'k{k.k} 'kks'k} {kerk fueZ k} jkstxkj I tu vkfn {ks=ka ea dfri; vfHkuo iz; ks I pkyr gA foHkkx dk vflre y{; gš fd efgykvka dks LorU= , oa vkRefuHkZ cukrs gq I "kDr fd; k tk; š I kFk gh , d LoLFk} I g{kr , ð tkx: d okrkoj.k ea ckydka dk ikyu&i"k.k , ð fodkl I fuf'pr gkA

tui n Lrjh; foHkkxh; <kpk
efgyk l 'kfdrdj.k , oacky fodkl dk foHkkxh; <kpk



f~~ty~~k dk; Øe vf/kdkjh
vkbDI hOMhO, l O
tui n Lrj



cky fodkl i fj; kstuk
vf/kdkjh
fodkl [k.M Lrj



e[; l fodk
{ks=h; Lrj



vka~~uckMh~~ dk; ldrh@l gkf; dk
xke Lrj

बाल विकास की योजनाओं का विवरण

1- समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई0सी0डी0एस0) कार्यक्रम :

6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, उनमें कुपोषण, मृत्युदर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने व माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत में दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आई0सी0डी0एस0 के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

- 1- 06 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारना ।
- 2- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- 3- मृत्युदर, रूग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
- 4- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- 5- उचित स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिये माताओं की क्षमता बढ़ाना।

जनपद में आई0सी0डी0एस0 का विस्तार :-

| ग्रामीण परियोजनायें | शहरी परियोजनायें | कुल परियोजनायें | आंगनबाड़ी केन्द्र | मिनी केन्द्र |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 08 | — | 08 | 656 | 455 |

आई0सी0डी0एस0 के अंतर्गत "आंगनबाड़ी केन्द्र" के माध्यम से 06 विशिष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभार्थियों को दी जाती हैं - (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) संदर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षण/टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा।

लाभार्थीवार सेवाओं का वर्गीकरण

| | लाभार्थी | | सेवायें |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | गर्भवती एवं धात्री महिलायें | क | स्वास्थ्य जाँच |
| | | ख | गर्भवती माताओं का टिटनेस टीकाकरण |
| | | ग | पूरक पोषाहार |
| | | घ | पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा |
| | | ड | सन्दर्भ सेवायें |
| 2 | 15-45 वर्ष की अन्य महिलायें | क | पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा |
| 3 | 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे | क | वृद्धि निगरानी |
| | | ख | पूरक पोषाहार (6 माह की आयु से अधिक) |
| | | ग | प्रतिरक्षण |
| | | घ | स्वास्थ्य जाँच |

| | लाभार्थी | | सेवायें |
|---|--------------------------|---|---|
| | | ड | सन्दर्भ सेवायें |
| 4 | 1-3 वर्ष की आयु के बच्चे | क | वृद्धि निगरानी एवं अनुपूरक पोषाहार |
| | | ख | प्रतिरक्षण |
| | | ग | स्वास्थ्य जाँच |
| | | घ | सन्दर्भ सेवायें |
| 5 | 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे | क | वृद्धि निगरानी एवं अनुपूरक पोषाहार |
| | | ख | प्रतिरक्षण |
| | | ग | स्वास्थ्य जाँच |
| | | घ | सन्दर्भ सेवायें |
| | | ड | स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा |
| 6 | किशोरी बालिकायें | क | स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा एवं अनुपूरक पोषाहार |
| | | ख | सबला योजना में अनुपूरक पोषाहार |

आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं का विवरण :-

(1) अनुपूरक पोषाहार : आंगनाबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। इस सेवा का उद्देश्य है कि समुदाय में बच्चों तथा महिलाओं के पोषण की विशिष्ट आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाते हुए कुपोषण समाप्त किया जाये। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में रहती है।

(ब) स्कूल पूर्व शिक्षा : 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस सेवा के अन्तर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु रू0 1000/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र तथा रू0 500/- प्रति मिनी केन्द्र के मानक से प्री-स्कूल एजुकेशन किट दिये जाने का प्राविधान है। निदेशालय आई0सी0डी0एस0 स्तर पर किट क्रय कर आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षा विभाग के समन्वय से 4676 आंगनबाड़ी केन्द्र ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के रूप संचालित किये जा रहे हैं। ई0सी0सी0ई0 केन्द्र पर कार्यकर्ती एवं सहायिका को स्कूल पूर्व शिक्षा का विशिष्ट प्रशिक्षण तथा प्रत्येक केन्द्र को रू0 5000.00 स्थापना राशि एवं रू0 1500.00 वार्षिक आवर्तक राशि सर्व शिक्षा अभियान से प्रदान की जाती है।

(2) स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण : प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह में एक बार (शनिवार) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस चिकित्सा विभाग के समन्वय से आयोजित होता है, जिसमें बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर सेवाएं आदि प्रदान की जाती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु रू0 600/- एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु रू0 300/- का वार्षिक मानक निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है, जिसका क्रय महानिदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के माध्यम से होता है।

(3) वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएँ : प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन स्केल, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलैट

तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध रहता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को चिकित्सा विभाग को संदर्भित करने हेतु कार्यकर्ता द्वारा सन्दर्भ पर्ची जारी की जाती है। आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान कुपोषित बच्चों के वजन प्रबन्धन एवं उनके परिवार को परामर्श के विषय पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(4) स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा : प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध रहते हैं। इस सेवा का मूल उद्देश्य लाभार्थियों में जानकारी का प्रसार कर स्वास्थ्य विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करना है।

2- अनुपूरक पोषाहार : इसके अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 5-9/2005/एन0डी0/टैक(वॉल-II) दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा अनुपूरक पोषाहार के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं :-

| लाभार्थी वर्ग | प्रति दिन/प्रति लाभार्थी व्यय | कैलोरी (कि0कैलोरी) | प्रोटीन (ग्राम) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे | — | 500 | 12-15 |
| 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चे | 4.00 रुपये | 500 | 12-15 |
| अति कुपोषित बच्चे | — | 800 | 20-25 |
| गर्भवती एवं धात्री महिलायें | — | 600 | 18-20 |
| किशोरी बालिकायें (सबला योजना) | — | 600 | 18-20 |

राज्य में अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था :-

1- कुकड फूड : 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) एवं स्नैक के रूप में अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

2- टेक होम राशन: 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन के रूप में पोषाहार दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह में कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान समय में राज्य में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से इण्डिया मिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी संरचना निम्नानुसार है :-

| | |
|---------|------|
| गेंहूँ | 75% |
| सोयाबीन | 25 % |

3- जनपद में संचालित 01 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :-


| क्र०सं० | आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र | आंवटित जनपद |
|---------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | आं०बा०प्र० केन्द्र पिथौरागढ़। | पिथौरागढ़, चम्पावत। |

4-बाल दिवस समारोह

दिनांक 14 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के सुअवसर पर समस्त जनपदों में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनमें, हैल्दी बेबी शो, चित्रकला एवं निबन्ध प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती हैं। प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड के सदस्यों द्वारा बाल अधिकारों पर जागरूकता हेतु जनपद में बैठके तथा कैम्प आयोजित किये जाते हैं।

4- किशोरी शक्ति योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किशोरी शक्ति योजना जनपद की 08 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करते हुए इतना समर्थ बनाना है कि वह स्वयं, अपने परिवार व समुदाय के सर्वांगीण स्वास्थ्य एवं विकास में सक्रिय योगदान दे सके।



किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के साथ अनुबन्ध किया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर लगभग 20 किशोरियों के एक समूह का गठन किया गया है, जिनमें स्कूल की छात्राएं एवं किसी कारणवश स्कूल न जाने वाले वर्ग से छात्राएं रखी गयी हैं। प्रत्येक समूह से एक किशोरी को "सखी" के रूप में चुनते हुए आई०सी०डी०एस० के एक कार्मिक/स्वयं सेवी संगठन का कार्यकर्ता के साथ मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, प्रत्येक "सखी" को एक प्रशिक्षण डायरी

व प्रशिक्षण सामग्री (किट) उपलब्ध करायी गयी है। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर क्षेत्र में अन्य किशोरियों को प्रशिक्षित करते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र पर मासिक किशोरी दिवस का आयोजन किया जाता है।

5- नन्दा देवी कन्या योजना

उत्तराखण्ड राज्य में लैंगिक असमानता एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बाल विवाह को हतोस्ताहित करने तथा कन्या शिशु को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "नन्दा देवी कन्या योजना" प्रारम्भ की गई। दिनांक 01-01-2009 के बाद जन्मी कन्या शिशु को राज्य सरकार के द्वारा ₹0 5000/- की धनराशि एल0आई0सी0 को देय है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण अविवाहित बालिका को ब्याज सहित प्राप्त होती है। यह लाभ परिवार की अधिकतम दो कन्या शिशुओं को देय है। जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल 560 बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया। जिनकी संख्या निम्नानुसार है।

| क्र० | वार्ड | कन्या शिशुओं की संख्या |
|------|------------|------------------------|
| 01 | चौक | 48 |
| 02 | महाराजपुरा | 54 |
| 03 | बुधवारपुरा | 83 |
| 04 | कालिकापुरा | 81 |
| 05 | बुधवारपुरा | 55 |
| 06 | खैरपुरा | 73 |
| 07 | दुधपुरा | 74 |
| 08 | बुधवारपुरा | 92 |
| | कुल | 560 |

6- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में महिला अधिकारियों को प्राथमिकता देते हुए संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। समस्त पिथौरागढ़ में दो गैर सरकारी संगठनों (1-अर्पण संस्थान, पिथौरागढ़ 2- स्वाती ग्रामोद्योग संस्थान पिथौरागढ़) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत 18 वाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दायर किये गये।

7- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न

वाद संख्या 666/1992 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1997 के अनुपालन में निम्नानुसार समितियां गठित है, जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखा गया है :-

1. समस्त विभागों के जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं निजी संस्थाओं/स्वयं सेवी संगठनों (जहाँ 5 से अधिक महिला कार्मिक कार्यरत है) में आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति।
2. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रथम अपीलीय समिति।
3. विभागाध्यक्ष स्तर पर शिकायत निवारण समिति।

8- तीलू रौतेली पुरस्कार

उत्तराखण्ड की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर रखी गयी इस योजना के अन्तर्गत जनपद से एक महिला अथवा किशोरी, जिसने किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, को राज्य सरकार द्वारा रू0 10000.00 तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

9-आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार: रू0 5000.00 की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र उत्कृष्ट कार्यकर्ती को दिये जाने की योजना संचालित है, प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ftyk dk; bæ vf/kdkjh dk; klyk; fi Fkkj kx<+ea 'kkl ukns k l a; k 1161@ xvii/(4)/2011 13&05&2011 }kjk Lohdr inka dk foj.k%&

| दल 0 | in | orueku | Lohdr |
|------|----------------------|-------------------------|-------|
| 01 | ftyk dk; bæ vf/kdkjh | 15600&39100 xM i & 5400 | 01 |
| 02 | ed; l gk; d | 5200&20200 xM i & 2800 | 1 |
| 03 | i dj l gk; d | 5200&20200 xM i & 2400 | 1 |
| 04 | l x.kd | 5200&20200 xM i & 2400 | 1 |
| 05 | dfu"B l gk; d | 5200&20200 xM i & 1900 | 1 |
| 06 | vuq od | 4440&7440 xM i & 1300 | 1 |

'kkl ukns k l a; k 2092@ xvii/(2)/2004 23&03&2005 ds }kjk pkyd in dks er ?kks"kr fd; k x; k gA vr%orEkkua ea tggW pkyd rñkr gS ogh in lftr ekuk tk, xkA

tuin ea l pkyr 08 cky fodkl ifj; kstuk vf/kdkjh dk; kly; ka ea 'kkl ukns k l a; k 1161@ xvii/(4)/2011 13&05&2011 , oa 1251@ xvii/(2)/2010/203/05 fnukad 12 eb] 2011 }kjk Lohdr inka dk foj.k%&

| दल a | ifj; kstuk | Lohdr inka dk foj.k | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | cky fodkl ifj; kstuk vf/kdkjh 9300&34800 xM i & 4200 | ir:kl fud vf/kdkjh 9300&34800 xM i & 4200 | ed; l fodk 5200&20200 xM i & 2800 | Lkd; dh; l gk; d 5200&20200 xM i & 4200 | ed; l gk; d 5200&20200 xM i & 2800 | i dj l gk; d 5200&20200 xM i & 2800 | dfu"B l gk; d 5200&20200 xM i & 1900 | vuq od 4440&7440 xM i & 1300 | væxucMh dk; D=lz fu; e ekunS | væxucMh l gk; dk fu; r ekun; | feuh væxucMh dk; D=lz fu; e ekunS |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | /kkj pyk | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 101 | 30 |
| 02 | fo.k | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 118 | 118 | 33 |
| 03 | cj hukx | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 74 | 80 |
| 04 | xakSyhgkV | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 | 96 | 75 |
| 05 | dukyhNhuk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | 75 |
| 06 | epL; kjh | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 78 | 53 |
| 07 | MhMhgkV | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 53 | 52 |
| 08 | eukdkV | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 60 | 57 |
| | | 8 | 2 | 26 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 656 | 656 | 455 |

'kkl ukns k l a; k 2092@ xvii/(2)/2004 23&03&2005 ds }kjk pkyd in dks er ?kks"kr fd; k x; k gA vr%orEkkua ea tggW pkyd rñkr gS ogh in lftr ekuk tk, xkA

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkI u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 2

vf/kdkfj ; ka vkj de'pkfj ; ka dh 'kfDr ; ka vkj drD;

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़


महिला I 'kfDrdj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
वर्ष 2012—13

अध्याय-दो

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी आई०सी०डी०एस० पितौरागढ़ के अर्न्तगत निम्नांकित ढांचा है :

विभागीय ढांचा – आई०सी०डी०एस०



vkbDI hOMhO, I O ds vUrxr fofHku dkfedka ds nkf; Ro
fTyk dk; ðæ vf/kdkjh

- fatyk Lrjh; @jKT; Lrjh; rFkk vU; foHkxh; cBdka ea Hkx yuk rFkk Lo; a fatyk Lrj ij cBda vk; kftr dj foHkxh; ixfr dk vuqo.kA
- LokLF; foHkx ds l kFk ifreg tuin ,oa ; Fkl EHko fodkl [k.M Lrj ij vk; kftr l a Ør cBdka ea ifrHkx ,oa ixfr dh l eh{kk djuka
- ifj; kstuk ds dk; &dyki ks dk vuqo.k ,oa ew; kadu djuk rFkk fu; æ.k j [kukA ifreg 5 l s 10 vkauckMh dlnka dk vkdfLed fujh{k.k l kFk gh ifj; kstuk dk; kÿ; ka dk fujh{k.k dj l qkkjRed l øko ,oa ekxh"ku nsuka
- vkgj.k&forj.k dk dk; j funskky; Lrj l s iklr ctV dk ifj; kstukvka grq forj.k rFkk mi Hkx dh dk; ðkgh l Ei Uu djuka
- cky fodkl ifj; kstukvks ea vko'; d l kexh rFkk i ks kkgkj dh vki frz l fuf'pr djuka
- ifj; kstukvka dh l pukvka ds vk/kkj ij ekfl d ixfr fjiks/Z r\$ kj dj ml dh l eh{kk rFkk ; Fkl le; ml s funskky; ea mi yC/k djuka
- dk; ðæ ea yxks dh l ghkfxrk dks ifjr djus ds fy; s ; kstuk; a cukuk vks mlga fØ; kflor djuka ifj; kstuk dk; kÿ; ka dh l eL; kvka dk fujkdj.k djuk rFkk fujkdj.k grq funskky; dks vxl kfjr djuka
- vU; dk; Z % l e; l e; ij l {ke Lrj }kj k l ks a x; s vU; dk; A

cky fodkl ifj; kstuk vf/kdkjh

- ifj; kstuk Lrj ij dk; ðæ ds dk; kÿ; u rFkk fnu&ifrfnu ds iz kkl fud dk; kÿ dh ns[kjs[k djuka
- ifj; kstuk LVkQ dh cBda yuk rFkk ixfr dh l eh{kk djuka ifreg 10 l s 15 vkauckMh dlnka dk fujh{k.k rFkk i Hkjh pfdRI kf/kdkjh] i kFked LokLF; dlnz ds l kFk l a Ør Hke.k djuka
- LokLF; foHkx ds l kFk ifreg tuin ,oa fodkl [k.M Lrj ij vk; kftr l a Ør cBdka ea ifrHkx ,oa ixfr dh l eh{kk djuka
- ifj; kstuk rFkk vkauckMh dlnz nsuka Lrjka ij vfHkys[kka dk mfpr : i l s j [kj [kko l fuf'pr djuk rFkk vfHkys[kka dk fujh{k.k djuka
- foHku vki frz; ka dh vf/ki kflr] <gykb] Hk.Mkj.k vks forj.k dh vko'; d 0; oLFkk djuka bl mîs; ds fy; s fTyk Lrj ds vf/kdkfj; ka l s vko'; d l Ei dz cukuka
- ; g l fuf'pr djuk fd ifj; kstuk ea vki frz l eLr l kt l keku vks l kexh dh vfHkys[kka ea ifof"V; ka dh x; h gS vks budk j [kj [kko Bhd l s l fuf'pr djokuka
- ifj; kstuk vks l økva dk l eflor dk; kÿ; u l fuf'pr djus ds fy; s vko'; d iz; kl djuka LFkkuh; l enk; ka dh l ghkfxrk iklr djus dk iz; kl djuka
- ifj; kstuk Vhe ds iæ[k gkus ds ukrs Cykld eq[; ky;] i kFked LokLF; dlnz i pk; rh jkt l LFkkvka vks ml {ks= ea dk; j r Lo; d dh l æBuka l s dk; kRed l Ei dz dh 0; oLFkk djuka
- ekfl d ixfr fjiks/Z r\$ kj dj fu/kkfr l e; kUrxr mPpkf/kdkfj; ka dks Hkstus dh 0; oLFkk djuka
- vkauckMh dk; ðrhl@l gkf; dkvka ds p; u dh i fØ; k "kkl ukn" k ds vuq kj l Ei Uu

dj mlga i f'k{k.k grq ukfer djuka

- vU; dk; Z% I e; I e; ij I {ke Lrj }kjk I kS a x; s vU; dk; A

ed; I fodk

- i f'k{k.k rFkk dk; Z vi s{kkvka ds chip dh dfe; ka dks nij djus ds fy; s vkauckM# dk; ZdrhZka dks muds dk; Z ds I Ecu/k ea yxkrkj ekxh'ku nsuka
- i frekg 15&20 vkauckM# dlnka dk fujh{k.k] efgyk LokLF; fujhf{kdk ds I kFk feydj gfrs ea , d ckj , d vkauckM# dk fujh{k.kA
- LokLF; foHkkx ds I kFk i frekg fodkl [k.M , oa I DVj Lrj ij vk; kfr I a pr cBdka ea i frHkkx , oa ixfr dh I eh{k dk djuka
- vkauckM# ds nks ml s fuEufyf[kr dk; Z djus gks %
 - 1- ?kjsyw I o{k.k djus ea vkauckM# dk; ZdrhZka dk ekxh'ku djuk] gj frekgh ea I o{k.k ds vkaMka dks Bhd djuk rFkk i fjokja vks mi ; pr yHkkfFkZ; ka dh I gh I uph cukuka
 - 2- I keftd , oa vkfFkd : i I s detkj yHkkfFkZ; ka rFkk xalkhj : i I s dq kf'kr cPpka dks I uph ea I feefyr djuka
 - 3- dq kf'kr cPpka dh I gh mez dk irk yxkuk mudk otu yuk rFkk of) pkVZ ea otu vadr djus ea dk; ZdrhZ dk ekxh'ku djuka
 - 4- [krjs dh I hek okys cPpka vks ekrvka dk irk yxkuk rFkk mlga i kFked LokLF; dlnz ; k vLirky Hkstus ea dk; ZdrhZ dh enn djuka
 - 5- xalkhj : i I s dq kf'kr cPpka dk Lo; a otu djds ml ds otu dh tkap djuk rFkk ml ds LokLF; ea I qkj ykus ds fy; s dk; ZdrhZ dk ekxh'ku djuka i kB'kkyk&iwz xfrfof/k; kw tS s dgkuh I ukus dh fof/k dk in'ku] [ksya dk vk; kstu] vkdfr; ka rFkk jaxka dh igpku vkfn ds vk; kstu ea dk; ZdrhZ dk ekxh'ku djuka
 - 6- i ksk.k rFkk LokLF; f'k{k fnol ka dk vk; kstu djokuk rFkk bl ea dk; ZdrhZ dks enn djuka
 - 7- dk; ZdrhZ ds vfHkys[kka dh tkap djuk rFkk I gh rjhds I s vfHkys[kka ds j [kj [kko ea dk; ZdrhZ dk ekxh'ku djuka
 - 8- vkauckM# dk; ZdrhZ dh dk; Z I Ecu/kh I eL; kvka dk irk yxkuk rFkk bu I eL; kvka dks I q>kus ea mudk ekxh'ku djuka
 - 9- vius {ks= dh dk; Zdrz; ks }kjk nh x; h ekfl d ixfr fjikVZ I adfyr dj cky fodkl ifj; kstuk vf/kdkjh dks I e; I s ikr djuka
 - 10- vius {ks= dh vkauckM# dk; ZdrhZ@I gkf; dkvka dh ekfl d mi fLFkr ekus grq i Lrj djuka
 - 11- vkauckM# dlnka dh xfrfof/k; ka ea fd'kksj; ka dks 'kkfey djus vks I ok; s nus ea dk; ZdrhZ dk ekxh'ku djuka

- vU; dk; Z% I e; I e; ij I {ke Lrj }kjk I kS a x; s vU; dk; A

vkauckM# dk; Zd=h , oa I gkf; dk

- I epk; dk I o{k.k dj yHkkfFkZ; ka dh I uph cukuka ftl I epk; dks I ok; a inku djuh gS mudk I o{k.k djds irk yxkuk fd ml ea N% o'kz I s de vk; q ds cPpS fd'kksj; kw xHkzrh efgyk; a rFkk nwk fi ykus okyh ekrk; a fdruh gA
- vkauckM# dlnz ds ek/; e I s fofHku yHkkfFkZ; ka dks fuEu I ok; a inku djuk %
 - ✓ 06 ekg I s 06 o'kz rd ds cPpka fd'kksj; ka xHkzrh @nwk fi ykus okyh ekrkva dks LokLF; tkap I nHkz k , oa vuqj d i k'kgkjA

- ✓ fd' kksj; kq xHkzbrh@nwk fi ykus okyh ekrkvka dks LokLF; , oa i ksk. k f' k{kk i nku djuka
- ✓ 03 l s 06 o"kl ds cPpka dks Ldwy&iwz f' k{kk i nku djuka
- ✓ 05 o"kl rd ds l eLr cPpka dk Vhdkdj.k , oa otu fuxjkuhA

- fookfgr efgykvka dks tul a[; k fu; æ.k dh tkudkj h rFkk l kepkf; d f' k{kk i nku djuka
- Vhdkdj.k@ifrj{k.k vks LokLF; tkp ea LokLF; dkfezka dh enn djuka
- xEHkhj : i l s vYi i ksf"kr@dij ksf"kr] chekj vks [krjs okys cPpkd Nir ds jkfx; ka vks fofHklu izdkj dh dfe; ka okys cPpka dks MKDVj ds ikl Hkstuka
- fjdkMZ@jftLVj j [kuk [kkl dj otu dkm] cky LokLF; dkm] ij d i kskkgkj fjdkMZ vkauckMh ea mi fLFkr fjdkMZ vkfn j [kukA
- vuq ij d i kskkgkj idkuk vks cPpka dks f[kykuka
- cPpka ds l Ei wkl fodkl ds fy; s l jy [ksy vks l tukRed xfrfof/k; ka dh 0; oLFkk vks vk; kstu djuk]
- vkauckMh ds dk; zeka ea ekrkvka dh l ghkkfxrk i klr djuk]
- ekrkvka ea cPpka ds i kskkgkj LokLF; vks [ksy l Ecu/kh t: jrka ds ckjs ea tkudkj h i nk djuk]
- vkauckMh es l kt&l keku vkfn dh 0; oLFkk djuka
- LokLF; fohkx ds l kFk ifrekg l DVj Lrj ij vk; kstr l a pr cBd ea ifrHkx , oa , 0, u0, e0 ds l kFk l ka>k j .kuhfr r\$ kj djuka
- l gkf; dk ifrfnu vkauckMh dlnz ds i ka.k dks l kQ dj] xka l s Nks/s cPpks dks bdVBk djrs gq s mudh mijh l kQ l Qkbz dk /; ku j [krh gS , oa vkauckMh dlnz ij i kuh dh 0; oLFkk djrh gA
 vl; dk; z% l e; l e; ij l {ke Lrj }kj k tkjh funz kka dk ikyu A

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkI u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 3

fofu' p; djus dh i fdz; k ea ikyu dh tkus okyh i fdz; k
ftl ea i ; bsk.k vkj mRrjnkf; Ro ds ek/; e l fEefyr g

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

वर्ष 2012—13

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—तीन

विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं


आई०सी०डी०एस०: आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी विभागाध्यक्ष हैं । अतः जनपदस्तरीय समस्त निर्णय जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं । ।

निदेशालय स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णयों का जनपद स्तर पर अग्रसारण जिलाकार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ द्वारा ही किया जाता है । तथा आवश्यकतानुसार निदेशक आई०सी०डी०एस० देहरादून से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं । परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका से तथा मुख्य सेविकायें बाल विकास परियोजना अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं ।

पर्यवेक्षण के चरण:

| कर्मि | पर्यवेक्षण हेतु अधिकार क्षेत्र |
|----------------------------|---|
| जिला कार्यक्रम अधिकारी | अपने जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय, मुख्य सेविका सैक्टर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र |
| बाल विकास परियोजना अधिकारी | अपनी परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सेविका सैक्टर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र |
| मुख्य सेविका | अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र |
| आंगनबाड़ी कार्यकर्ती | आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन, पर्यवेक्षण एवं आंगनबाड़ी सहायिका का मार्गदर्शन |

पर्यवेक्षण चार्ट:—



उत्तरदायित्व चार्ट

जिला कार्यक्रम अधिकारी



बाल विकास परियोजना अधिकारी



मुख्य सेविका



आंगनबाड़ी कार्यकर्ती

lks'kd]

j k/kk j rMh]

mRrj kpy 'kkl u] ngj knu A

I oke]

fun'kd]

vkbDI hOMhO, I O]

mRrj kpy ngj knu A

efgyk I 'kfDrdj.k , oa cky fodkl vuHkkx]

ngj knu% fnukad 22 vDVicj 2005

fo" k; %

vkaxuckMh dk; ZdrhZ rFkk I gkf; dk ds drD; , oa nkf; Ro ds I EclU/k ea A

egkn; k]

efgyk , oa cky fodkl foHkkx] Hkkjr I jdkj ds i = I a[; k 1&8@2003&I hOMhO&1

fnukad 14 tpykbZ 2005 , oa fnukad 12 fl rEcj 2005 ds dae ea dk; ZdrZ; ka , oa I gkf; dkvka ds

drD; , oa nkf; Ro I ayXud ds vuq kj fu/kkfj r fd; s tkrs ga A

di ; k drD; , oa nkf; Roka dh i fr I eLr dk; ZdrZ; ka , oa I gkf; dkvka dks i klr dj kuk

I fuf' pr dj A

I ayXu% ; Fkksi fj A

Hkonh; k

1/2 j k/kk j rMh/2

I fpo

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका के कर्तव्य एवं दायित्व

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-8/2003-सी0डी0-1 दिनांक

14 जुलाई 2005 एवं दिनांक 12 सितम्बर 2005 द्वारा निर्धारित कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के कर्तव्य एवं दायित्व ।

कार्यकर्ती के कर्तव्य एवं दायित्व

- 1- vkbDI hOMh0, l 0 dk; dæ ds l pkyukFkz l epnk; dk l g; ksx , oa l ghkkfxrk l fuf'pr djukA
- 2- ekg ea , d ckj l elr ckydka dk otu eki u] xkfk pkVZ ea otu dk vødu] l UnHkZ dkmZ dk mi ; ksx djrs gq i kFkfed LokLF; dln@, 0, u0, e0 mi dlnz ij efgykva@ckydkA dk l UnHkZ k 06 o'kz rd ds ckydka gsrq cky&dkmZ dks j [kuk , oa LokLF; rFkk v) & LokLF; dfez; ka ds Hkæ.k ds l e; ml s i Lrqr djuk A
- 3- o'kz ea , d ckj vius {ks= ds l elr ifjokjka dk rhoz l o[k.k djuk] mu ifjokjka ea fo'ks'kdj ekrkvka rFkk ckydka dk fpUgkadu djuk A
- 4- vkxuckMh dlnz ij 03&06 o'kz ds ckydka gsrq vukS pkfjd Ldwy&iwZ xrfkof/k; ka dk vk; kstu djuk A vkxuckMh ea mi ; ksx djus gsrq LFkkuh; {ks= , oa l dfr ds vk/kkj ij f[kykSus dh cukov rFkk [ksy l kexh cukus ea l g; ksx djuk A
- 5- LFkkuh; mi yC/k [kk | inkFkka rFkk 0; atuka ds vk/kkj ij Hkkstu l kfj.kh rS kj djuk rFkk 06 o'kz rd ds ckydka , oa xHkZrh@/kk=h efgykva gsrq vuqij d i ks kkgkj dk vk; kstu djuk A
- 6- ekrkvka dks LokLF; , oa i ks.k k f'k{k ds l kFk Lruiku@f'k'kq , oa cky vkgkj i) fr; ka ij ijke'kz nuk A l epnk; ds fudV gkus ds dkj.k ifjokj fu; kstu@tle fu; æ.k ds l k/kuka ds mi ; ksx ds l Ecu/k ea dk; dhrhZ fookfgr efgykva dks ifjr dj l drh gSA
- 7- ifrekg tlea ckydka dh l puk vius {ks= ds vlrxr tle , oa eR; q jftLVkj@mijftLVkj }kjk vf/kdr 0; fDr xke ipk; r fodkl vf/kdkjh@xke l Hkk l od@, 0, u0, e0 dks i klr djuk A
- 8- vfHkHkkodka dks f'kf{kr djus gsrq x't Hkæ.k djuk , oa ckykdj fo'ks'kdj uotkr f'k'kqvka dh of) , oa fodkl ea i Hkkoh Hkfedk fuHkkus gsrq ekrkvka dks rS kj djuk A
- 9- funz kkkukj i =kofy; ka , oa vfHkys[kka dk j [kj [kko djuk A
- 10- dk; dæ ds LokLF; l Ecu/kh ?kVd tS s ifrj{k.k} LokLF; tkp] izl o iwZ , oa izl oks j kUr tkp vkfn ds vk; kstu ea i kFkfed LokLF; dlnz ds dfez; ka dk l g; ksx djuk A
- 11- vkbD, Q0, 0 dh xkfy; ka rFkk foVkfue&, ?kksy ds forj.k ea , 0, u0, e0 dks l g; ksx djuk , oa vkxuckMh dlnz ij nskuka nokvka dk j [kj [kko djuk A vkxuckMh dlnz dh LVksd iftdk ea mDr nokvka dk vødu ugha fd; k tk; sxk D; kfd bl l s dk; dhrhZ ds dk; ka ea c<kRrjh gksxh vkj ml ds emy dk; l i Hkkfor gksxs A
- 12- vkbDI hOMh0, l 0 ds vlrxr , df=r l puvka dks , 0, u0, e0 dks inku djuk] ijUrq dk; dhrhZ ds vfHkys[kka ij gh , 0, u0, e0 i w kZ% vkfJr ugha jgsxh A
- 13- {ks=h; ifj; kstuk vf/kdkjh@ef; l fodk ds l kku ea muds /; kukd'kz k , oa gLr{ksi ; kX; tkudkjh ykuk] fo'ks'kdj fofHku fohkxka ds e/; l ello; LFkkfir djuk A
- 14- vl; l LFkkvka %efgyk e.MykS l s l Ei dZ LFkkfir djuk rFkk i kFkfed@ek/; fed fo | ky; ; ka dh v/; kfi dkvka , oa ckydkvka dks vi us dk; ka ea l g; ksx i klr djuk A
- 15- jk'Vh; xkeh.k LokLF; fe'ku ds vlrxr rskr vk'kk dks LokLF; ns[kjs[k l okvka rFkk vkbDI hOMh0, l 0 ds vfHkys[kka ds l ærk ea ekxh'ku inku djuk A
- 16- fd'kqjh 'kfr ; kstuk ds l pkyu ea l g; ksx nuk A l kFk gh fd'kksj; k] vfHkHkkodka rFkk tu l epnk; dks ifjr , oa f'kf{kr djus gsrq l keftd tkx: drk dk; dæka@dEi dk vk; kstu djuk A

17- fd'kkfj; ka gsrq i ks.k.k dk; bde ds fdz; kko; u ea dk; bfrz; ka funz'kkud kj l g; ks i nku
 djxh rFkk vfHkys[kka dks r\$ kj djxh A

18- vkj0l h0, p0 fdV@ifjokj fu; kstu ds l kf/kuka@i z l o fdV vkfn ds fMi ks gkYMj dk dk; l
 vkauckMh dk; bdriz dj l drh g\$ A ijUrq vkqj n dkmUVj nokvka dks NkMdj fdVka ds
 forj.k rFkk vl; nokvka dks nus dk dk; l LokLF; ,oa ifjokj dY; k.k ea=ky; ds
 fu.kz; kud kj , 0, u0, e0 vFkok vk'kk }kjk gh fd; k tk; sxk A

19- xg Hka.k ds l e; ckydka ea fu%kDrrk dk fplghdj.k rFkk mlga rRdky fudVre
 i kFkfed LokLF; dlnz vFkok ftyk fu"kdrrk i pLFkki u dlnz ij l Unfhkr djuk A

20- iYl ikfy; ks ifrj{k.k dk; bde ds vk; kstu ea l g; ks i nku djuk A

21- Mk; fj; k gStk t\$ h vki krdkyhu fLFkfr dh tkudkj rRdky , 0, u0, e0 dks nusuk A

22- fof/kdtkudkjh ds ifr tu l epk; dks tkx: d , oa i k\$ l kfgr djuk A

आंगनबाड़ी सहायिका के कर्तव्य एवं दायित्व:-

1. बालकों एवं माताओं को भोजन पकाकर परोसना ।
2. प्रतिदिन आंगनबाड़ी भवन की सफाई तथा पानी का प्रबन्ध ।
3. छोटे बालकों की सफाई ।
4. आंगनबाड़ी क्षेत्र के छोटे बालाकों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाना ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़
वर्ष 2012—13

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—चार

कार्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

- ❖ आई0सी0डी0एस0 के मानकों के आधार पर लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार के माध्यम से 0"कल में 300 दिवसों हेतु निम्नानुसार कैलोरी एवं प्रोटीन प्रदान किये जाते हैं:-



| लाभार्थी वर्ग | किलो कैलोरी | प्रोटीन |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 6 माह से 6 व"कल के बालक | 500 | 12-15 ग्राम |
| अति कुपोषित व"कल | 800 | 20-25 ग्राम |
| गर्भवती / धात्री महिला / किशोरी | 600 | 18-20 ग्राम |

क्षेत्र भ्रमण के मासिक मानक :-

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5-10 दिन, बाल विकास अधिकारी द्वारा 10-15 दिन, एवं मुख्य सेविका द्वारा 15-20 दिन प्रति माह क्षेत्र भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

लाभार्थी बजटीय मानक

अनुपूरक पोषाहार संबंधी प्रति दिन की लागत संबंधी वित्तीय मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये है :-

| लाभार्थी | संसोधित दर |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. बालक (03 0"कल 572 महीने) | 04 रू0 प्रति बालक / प्रति दिन |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0 पिथौरागढ़

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

2012—13

अध्याय-पांच

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

नियम – एम०जी०ओ० 'kkl ukns kka' का संग्रह

– वित्तीय हस्तपुस्तिकायें

वित्तीय नियम – भारत सरकार के fn' kfun' kku' kj अध्याय चार में वर्णित है

आई०सी०डी०एस० के कर्मियों पर लागू 'kkl ukns k' एवं fn' kfun' k, जो समय समय पर जारी किये गये हैं, जिला कार्यक्रम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध हैं।



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके
नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़
2012&13

महिला I 'kfDrdj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—छः

| |
|--|
| <p>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण</p> <p>आंगनबाड़ी केन्द्र – 7 पंजिकाओं का विवरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट</p> <p>बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला कार्यक्रम कार्यालय— पंजिकायें पत्र प्राप्ति एवं पंजीकरण, एस0पी0एस0, स्टॉक पंजिका, चरित्र पंजिका, उपस्थिति, अवकाश, आदेश, निरीक्षण, कैंप बुक, कोषागार, बैंक बुक, बैंक ड्राफ्ट, 11-सी0, कन्टीजेन्सी, वेतन, बिल वाउचर पत्रावली, व्यक्तिगत पत्रावलियां, सेवा पुस्तिकायें, जी0पी0एफ0 पंजिकायें, गार्ड फाईल, टेलीफोन पंजिका, वाहन लौग बुक, कार्यालय उपकरण पत्रावली, मासिक प्रगति रिपोर्ट/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आदि।</p> |
|--|

| क्र. सं. | अनुभाग | दस्तावेज का नाम एवं परिचय | गोपनीय अथवा जनता द्वारा जांच के लिए उपलब्ध | दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया | धारक/नियंत्रणाधीन |
|----------|---------------|---|--|--|--|
| 1. | अधिष्ठान/लेखा | 1. उपस्थिति पंजिका | जांच के लिए उपलब्ध | आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अदा करने पर | जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी |
| | | 2. स्थापना पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | वरिष्ठ सहायक |
| | | 3. आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 4. कार्यालय आदेश पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 5. स्थापना प्रकरणों संबंधी गार्ड फाइलें | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 6. निदेशालय जनपद / परियोजना स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 7. निदेशालय जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की चरित्र पंजिका पत्रावलियां | गोपनीय | - | -तदैव- |
| | | 8. ज्येष्ठता सूची पत्रावलियों | जांच के लिए उपलब्ध | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 9. जाब चार्ट पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 10. शासन, निदेशालय द्वारा किये गये निरीक्षणों के परिपालन संबंधी पत्रावलियों | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | | 11. पत्रावलियों की पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | वरिष्ठ स0/कनिष्ठ सहा0 |
| | | 12. पंजिकाओं की पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |

| | | | | |
|--|--|--------|--------|---------------|
| | 13. विभिन्न मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक सूचनाओं के प्रेषण तथा अन्य विविध प्रकार की कार्यवाहियों से संबंधित पत्रावलियाँ | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 14. जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर/केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 15. कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की प्रेषण पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 16. डाक टिकट पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 18. पटल सहायकों को प्राप्त कराये जाने वाले पत्रों की पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 29. डाक चालानों की पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 20. अधिष्ठान व्यय हेतु बजट आंबटन पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | वरि0सहा10 |
| | 21. व्ययाधिक्य एवं बचत संबंधी पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 22. अधिष्ठान व्यय विवरण पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 23. विभागीय प्राप्तियों की पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 24. यात्रा-भत्ता बिल पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 25. आकस्मिक व्यय पंजिकायें | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 25. अग्रिम आहरण/भुगतान पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 27. कोषागार बिल पंजिका प्रपत्र-11 सी | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 28 कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की पंजिका प्रपत्र-1 | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 29. वेतन बिल पंजिकायें | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 30. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 लेजर एवं ब्राडशीट | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 31 समूह-घ के कार्मिको को जी0पी0एफ0 लेखा आंबटन एवं लेखा पर्ची निर्गत करने संबंधी पत्रावली | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 32. महालेखाकार तथा विभागीय लेखादल द्वारा किये गये आडिट एवं लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण संबंधी पत्रावलियाँ | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 33. रोकडवही | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 34. चैक/ड्राफ्ट पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 35. स्थाई अग्रिम पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |
| | 36. जनरल स्टाक पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | dfu"B I gk; d |
| | 37. लेखन सामग्री स्टाक पंजिका | -तदैव- | -तदैव- | -तदैव- |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkI u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 7

fdI h 0; oLFkk dh fof' kf"V; ka tks ml dh uhfr dh I j'puk ; k ml ds
dk; k'lo; u ds I EcU/k es turk ds I nL; ka I s i jke' kZ ds fy, ; k
muds }kjk vH; konu ds fy, fo | eku gS

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDr dj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—सात

fDI h 0; oLFkk dh fof'kf"V; ka tks ml dh uhfr dh I j'puk ; k ml ds dk; k'lo; u ds
I ECU/k ea turk ds I nL; ka I s i jke'kZ ds fy, ; k muds }kj k vH; konu ds fy,
fo | eku gS

- विभागीय (आई0सी0डी0एस0) वेबसाईट में जन सुझावों की व्यवस्था की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड कल u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 8

, s s ckMkq i fj "knkq l fefr; ka vksj vU; fudk; ka ds foofj .k ftuea nks ; k
vf/kd 0; fDr gq ftudk ml ds Hkkx: i ; k bl ckjs ea l ykg nus ds iz; kstu
ds fy, xBu fd; k x; k gs fd D; k mu ckMkq i fj "knkq l fefr; ka vksj vU;
fudk; ka dh cBda turk ds fy, [kyh gkxh ; k , s h cBdka ds dk; bRr rd
turk dh igp gkxh

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDrdj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—आठ

vkbDI hOMhO, l O fi Fkkj kx< ea bl i xkj dh dkbz ckMz@l fefr@ifj"kn@fudk; dk xBu tui n
Lrj ij ugh dh x; h gA

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड शासन

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला | 'kfDrdj.k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

vf/kdkfj; ka vksj deþkfj; ka dh funF' kdk
ftyk dk; De vf/kdkjh dk; kZk; dk nHk" k , oa i rk
I jLorh I nu] Vdkuk j kM fi FkKj kx<+ nHk" k I a; k % 05964227890

| | |
|---|---------------------------|
| i nuke | vf/kdkjh@ deþkj h dk uke |
| ftyk dk; De vf/kdkjh | I ph geyrk /kkSh |
| ed; I gk; d@ I gk; d ykd I puk vf/kdkjh | Jh /khjlnz nRr i kBd |
| dfu"B fyfi d | Jh jktdeþkj fl g HkUMkj h |
| okgu pkyd | Jh dY; k.k fl g ush |

| क्र० स० | जनपद | कोड सं० | डी०पी०ओ दूरभाष नम्बर | जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम | जिला कार्यक्रम अधिकारी का पता |
|------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | पिथौरागढ़ | 05964 | 227890 | सुश्री हेमलता धौनी | जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, सरस्वती सदन टकना रोड़, पिथौरागढ़। |

बाल विकास परियोजनाओं का विवरण:

बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण

| क्र० | जनपद का नाम | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार | स्वीकृति का वर्ष | स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र | स्वीकृत मिनी आ०बा० केन्द्र |
|------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 | पिथौरागढ़ | विण | ग्रामीण | 1989 | 101 | 30 |
| 02 | | बेरीनाग | ग्रामीण | 1991 | 118 | 33 |
| 03 | | धारचूला | जनजातीय | 1979 | 74 | 80 |
| 04 | | गंगोलीहाट | ग्रामीण | 1984 | 96 | 75 |
| 05 | | कनालीछीना | ग्रामीण | 1991 | 76 | 75 |
| 06 | | मुनस्यारी | ग्रामीण | 1984 | 78 | 53 |
| 07 | | डीडीहाट | ग्रामीण | 2002 | 53 | 52 |
| 08 | | मूनाकोट | ग्रामीण | 2002 | 60 | 57 |

i fj; kst ukLrjh; vf/kdkfj; ka ds I a dZ uEcj , o a rs

| क्र० स० | परियोजना | कोड सं० | दूरभाष नम्बर | बाल विकास परियोजना अधिकारी | संपर्क हेतु पता |
|---------|-----------|---------|--------------|----------------------------|---|
| 01 | विण | 05964 | 226728 | श्रीमती भागीरथी डोबाल | बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय विण |
| 02 | बेरीनाग | — | — | श्रीमती कलावती पाण्डे | प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बेरीनाग |
| 03 | धारचूला | 05967 | 222116 | श्रीमती चन्द्रप्रभा रायपा | बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय धारचूला |
| 04 | गंगोलीहाट | — | — | श्रीमती इन्दू चन्द | बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय गंगोलीहाट |
| 05 | कनालीछीना | — | — | सुश्री जया पंत | बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कनालीछीना |
| 06 | मुनस्यारी | 05961 | 222172 | श्रीमती कलावती राणा | प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मुनस्यारी |
| 07 | डीडीहाट | 05964 | 232812 | श्रीमती राधिका हयांकी | बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय डीडीहाट |
| 08 | मूनाकोट | 05964 | 266640 | श्रीमती गंगा भाकुनी | प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मूनाकोट |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDrdj.k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय-दस

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं

जनपद / परियोजना स्तर पर सृजित पद

| Ø0l Ø | i n dk uke | Lohdr i n | orueku |
|-------|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | 01 | 15600&39100 xM& 5400 |
| 2 | cky fodkl i fj; kstuk vf/kdkjh | 08 | 9300&34800 xM& 4200 |
| 3 | i z kkl fud vf/kdkjh | 02 | 9300&34800 xM& 4200 |
| 4 | ef; l fodk | 26 | 5200&20200 xM i & 2800 |
| 5 | l ka; dh; l gk; d | 02 | 9300&34800 xM& 4200 |
| 6 | l x.kd | 01 | 5200&20200 xM i & 2400 |
| 7 | ef; l gk; d | 06 | 5200&20200 xM i & 2800 |
| 8 | i z j l gk; d | 04 | 5200&20200 xM i & 2400 |
| 9 | dfu"V l gk; d | 07 | 5200&20200 xM i & 1900 |
| 10 | pkyd | 02 | 5200&20200 xM i & 1900 |
| 11 | pi jkl h | 09 | 4440&7440 xM i & 1900 |
| 12 | vkæuckMh dk; ð=hz | 656 | fu; r ekun\$ 3000-00 ¼dlnka k 1500 , oa jkT; ka k 1500½ |
| 13 | vkæuckMh l gkf; dk | 656 | fu; r ekun\$ 1500-00 ¼dlnka k 750 , oa 750 jkT; ka k ½ |
| 14 | feuh vkæuckMh dk; ð=hz | 455 | fu; r ekun\$ dlnka k 750-00 : 0 ek= |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kk| u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 11

I Hkh ; kst ukvka i Lrkfor 0; ; ka vkj fd; s x; s l fork. kka
ij fj i ks/ka dh fof' f"V; ka mi nf"kr djrs gq vi us i R; sd
vfHkdj .k dks vkofVr ctV

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDrdj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—ग्यारह

I Hkh ; kstukvka i Lrkfor 0; ; ka vksj fd; s x; s l fork. kka ij fji ksvka dh fof' kf"V; ka mi nf"kr
djrs gg vius iR; sd vfHkdj.k dks vkofVr ctV

- ; kstukvka dk foj.k v/; k; , d ea fn; k x; k gSA
- ctV dk foj.k fn; k x; k gSA
- tuin Lrj ij vkbDI hOMhO, lO dks ctV funs'kd] ds ek/; e l s ftyk dk; ide
vf/kdkjh@vkgj.k forj.k vf/kdkjh dks tkjh gkrk gSA tks funs'kkud kj 0; ; fd; k tkrk gSA

ftyk dk; ðæ vf/kdkjh] vkbDI hOMhO, I O fi FkKj kx<+
 ctV dh fLFkr ekG 31 ekpl 2013 rd
 dkskkxkj fi FkKj kx<+ ds vLrxr iklr ctV%&

¼ 0 gtkj e½

| jKT; I DVj | | | |
|------------|--|----------|----------|
| dekad | dY; k.k I ok, a | ctV iklr | 0; ; |
| | vupku I a; k 15 | | |
| | 0303 ifj; kstuvka ij jKT; I jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; ðæ ds vLrxr I eflor cky fodkl i kskkgkj ¼ keku; tkfr½ | | |
| 01 | 07 ekus | 6964-442 | 7544-819 |
| 02 | 31 I kexh , oa I Ei frZ ¼ i dki dk; k , oa i qVkgkj gr½ | 9927-00 | 9637-00 |
| 03 | 42 vU; 0; ; ulnknsh du; k ; kstuk | 2800-00 | 2800-00 |
| | vupku I a; k 30 | | |
| | 0202 ifj; kstuvka ij jKT; I jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; ðæ ds vLrxr I eflor cky fodkl i kskkgkj | | |
| 04 | 07 ekus | 2065-0 | 2064-00 |
| 05 | 31 I kexh , oa I Ei frZ ¼ i dki dk; k , oa i qVkgkj gr½ | 4040-00 | 2958-494 |
| 06 | 15 cky fnol | 20-00 | 19-99 |
| 07 | vupku I a; k 15 vkxuckMh dlnk dk Hkou fuekZ k | 2000-00 | 2000-00 |
| 08 | vupku I a; k 30 vkxuckMh dlnz Hkou fuekZ k | 500-00 | 500-00 |

| dlnz I DVj | | | |
|------------|---|-----------|-----------|
| dekad | dY; k.k I ok, a | ctV iklr | 0; ; |
| 01 | vupku I a; k 15 | | |
| | 102 cky fodkl ifj; kstuvka ds l pkyukFkZ ½oru] ekus] dUVhtDI h] vkfn½ | 32479-000 | 27966-891 |
| | vupku I a; k 30 | | |
| | 203 ifj; kstuvka ij dlnz }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; ðæ ds vLrxr I eflor cky fodkl i kskkgkj ¼ vuqtkfr½ | | |

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| 02 | 07 ekunş | 4864-00 | 4757-00 |
| 03 | 20 l gk; d vupku@vafknku | 120-00 | 120-20 |
| 04 | 26 e'khu l ktl Ttk | 52-00 | 52-60 |
| 05 | 11 ys[ku l kexh | 2-600 | 2-594 |
| 06 | vupku l a[; k 15 dk; LFky ij ; ksu mRi hMu] ?kjsy wfgd k l s efgyk l j{k.k | 150-00 | 88-50 |
| | vupku l a[; k 15 | | |
| 09+ | 44 vkxuckMh dk; id=hz@l gkf; dkvka vkfn dks i f'k{k.k ds nkj ku 108 | 2600-00 | 2314-00 |
| | 107 fd'kkjh 'kfDr ; kstufkZ | 8800-00 | 8800-00 |
| 10 | vupku l a[; k 015 efMI u fdV4 dh vki frZ 101 | | |
| | 31 l kexh , oa l Ei frZ | 50-00 | 42-00 |
| | 42 vl; 0; ; | 44-00 | 44-00 |
| 11 | vupku l a[; k 015 vupJo.k , oa eW; kacu 110 | 226-00 | 189-00 |
| 12 | vupku l a[; k 015 l upuk f'k{k l pkj 114 | 137-00 | 98-85 |
| 13 | vupku l a[; k 015 vkxuckMh dlnka dh vol j puk | 250-00 | 250-00 |
| 104 ftyk dk; dzæ dk; ky; ka ds l pkyu grq /kukoa/u | | | |
| 01 | 104 ftyk dk; dzæ dk; ky; ds l pkyukfZ | 2342-50 | 1686-52 |

dk'kkxkj MhMhgkV& vkgj .k forj .k MhMhgkV ds vlrxr ctv%&

| jkt; l DVj | | | |
|------------|--|----------|----------|
| dekad | dY; k.k l ok, a | ctv iklr | 0; ; |
| | vupku l a[; k 15 | | |
| | 0303 i fj; kstuvka ij jkt; l jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; dzæ ds vlrxr l eflor cky fodkl i k'kkgkj ¼ keku; tkfr½ | | |
| 01 | 07 ekunş | 4333-970 | 4333-970 |
| 02 | 31 l kexh , oa l Ei frZ ¼ dki dk; k , oa i qVkgkj grq | 7176-00 | 3254-995 |
| | vupku l a[; k 30 | | |
| | 0202 i fj; kstuvka ij jkt; l jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; dzæ ds vlrxr l eflor cky fodkl i k'kkgkj ¼vup tkfr½ | | |
| 03 | 07 ekunş | 904-00 | 716-55 |
| 04 | 31 l kexh , oa l Ei frZ ¼ dki dk; k , oa i qVkgkj grq | 1772-00 | 420-00 |
| | vupku l a[; k 31 | | |

| | | | |
|----|---|----------|--------|
| | 796102 tutkfr {ks=ka ea fn; k tkus okyk i ks'kkgkj vkfn | | |
| 05 | 07 ekunş | 894-00 | 883-00 |
| 06 | 31 I kexh vkş I Ei frz | 16000-00 | 719-00 |

| dşnz I DVj | | | |
|------------|--|-----------|----------|
| dşkad | dY; k. k I şok, a | ctV i klr | 0; ; |
| | vunku I a[; k 15 | | |
| 01 | 102 cky fodkl i fj; kstukvka ds I pkyukFkz %osu] vkæuckMh ekunş] dUVhtşl hj vkfn½ | 23450-00 | 18383-00 |
| | vunku I a[; k 30 | | |
| | 203 i fj; kstukvka ij dşnz }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; İde ds vlrşr I eflor cky fodkl i ks'kkgkj %vu@tkfr½ | | |
| 02 | 07 ekunş | 2150-00 | 2142-00 |
| 03 | 20 I gk; d vunku@vå knku | 41-00 | 41-00 |
| 04 | 26 e'khu I ktI Ttk | 24-60 | 24-60 |
| 05 | 11 ys[ku I kexh vkş Qkekå dh Ni kbz | 2-100 | 2-100 |
| | vunku I a[; k 31 | | |
| 06 | 796 tutkrh; {ks= ea fn; k tkus okyk i ks'kkgkj | | |
| 07 | 07 ekunş | 1350-00 | 1338-45 |
| 08 | 20 I gk; d vunku vå knku | 35-00 | 35-00 |
| 09 | 26 e'khu , oa I ktI Ttk | 15-20 | 15-20 |
| 10 | 110 vuqJo.k , oa eW; kacu | 121-00 | 98-12 |
| 11 | 114 I puk] f'k{kk] I pkj rFk i pkj&i d kj | 102-00 | 74-238 |

dk'skkxkj cjhukx& vkgj .k forj .k cjhukx ds vllrxr ctV%

| jkt; I DVj | | | |
|------------|---|-------------|----------|
| dækad | dY; k.k I ok, a | ctV iklr | 0; ; |
| | vupku I a; k 15 0303 ifj; kstukvka ij jkt; I jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; bæ ds vllrxr I eflor cky fodkl i k'skkkj ¼ kekl; tkfr½ | | |
| 01 | 07 ekunş | 1810 | 1776 |
| 02 | 31 I kexh , oa I Ei frz ¼ dki dk; k , oa i qVkgkj gr½ | 4623 | 1530 |
| | vupku I a; k 30 0203 ifj; kstukvka ij jkt; I jdkj }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; bæ ds vllrxr I eflor cky fodkl i k'skkkj ¼ vu@tkfr½ | | |
| 03 | 07 ekunş | 1810-00 | 1773-652 |
| 04 | 31 I kexh , oa I Ei frz ¼ dki dk; k , oa i qVkgkj gr½ | 4623-00 | 1530-269 |

| dlnz I DVj | | | |
|------------|--|-------------|----------|
| dækad | dY; k.k I ok, a | ctV iklr | 0; ; |
| | vupku I a; k 15 | | |
| 01 | 102 cky fodkl ifj; kstukvka ds I pkyukFkz ¼ oru] ekunş] dUVhtšI h] vkfn½ | 6268-300 | 5837-387 |
| | vupku I a; k 30 202 ifj; kstukvka ij dlnz }kjk fn; s tkus okyk i qVkgkj dk; bæ ds vllrxr I eflor cky fodkl i k'skkkj ¼ vu@tkfr½ | | |
| 02 | 07 ekunş | 1548-000 | 1547-292 |
| 03 | 20 I gk; d vupku@va knku | 0-40 | 0-39 |
| 04 | 26 e'khu I ktI Ttk | 0-16 | 0-16 |
| 05 | 11 ys[ku I kexh vkj Qkek dh Ni kbz | 0-300 | 0-296 |
| 06 | vuq'o.k , oa ew; ka du 110 | 62-00 | 46-94 |
| 07 | I upuk f'k{kk I okj , oa i pkj & i d kj 114 | 33-00 | 11-99 |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि
और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012-13

महिला I 'kfDrdj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—बारह

| |
|---|
| I gkf; dh dk; Zlæka ds fu"i knu dh jhfr ftI ea vkofVr jkf'k vkj , s s dk; Zlæka ds Ok; nkxkfg; ka ds C; kj s I fEefyr gñ |
| foHkkx I s I EcfU/kr ugha gS |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 13

विषय सूची के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—तेरह

| |
|--|
| अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां |
| विभाग से सम्बन्धित नहीं है |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो
उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDrdj.k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय-चौदह

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

वेबसाईट का निर्माण किया गया है जिससे विभागीय सूचनायें जनसामान्य हेतु उपलब्ध हैं

<http://gov.ua.nic.in/wecd>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkl u

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 15

I ipuk vflki klr djus ds fy, ukxfj dka dks mi yC/k
I fo/kkvka dh fof' kf"V; ka ftuds vUrxlr fdl h
i qrdky; ; k okpu d{k ds ; fn yksd mi ; ks ds fy,
vugf{kr gS rks dk; Zdj .k ?ka/s I fEefyr g

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

2012—13

महिला I 'kfDr dj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—पन्द्रह

I puk vfHki klr djus ds fy, ukxfj dka dks mi yC/k I fo/kkvka dh fof'kf"V; ka ftuds vrxr fdl h i rdky; ; k okpu d{k ds ; fn ykd mi ; ksx ds fy, vugf{kr gS rks dk; Zj.k ?k/s I fEefyr gâ

- foHkkx ds I eLr dk; kZy; ka es dk; kZy; & I e; ds vUrxr vfHkys[ka ds ijh{k.k@v/; ; u gsrq i ; klr I fo/kk mi yC/k gS
- foHkkxh; osl kbM dk fuekZk fd; k x; k gS ftl es foHkkxh; I puk; a tul keU; gsrq mi yC/k gâ

<http://gov.ua.nic.in/wecd>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड 'kkI u ष

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 16

yksd I upuk vf/kdkfj ; ka ds uke] i nuke vkj vl;
fof' kf"V; ka

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

महिला I 'kfDr dj .k एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

2012—13

अध्याय-सौलह

ykd I puk vf/kdkjh; ka ds uke] i nuke vksj vU; fof'kf"V; ka

| i'kkI dh; Lrj | ykd I puk vf/kdkjh | | | foHkkxh; vihy vf/kdkjh | | |
|------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| | i nuke | dk; kÿ; dk i w k i r k | Vsyh- ua@ bZ &esy | i nuke | dk; kÿ; dk i w k i r k | Vsyh- ua@ bZ &esy |
| e.My Lrj | e.My Lrj ij foHkkx ds vUrxr dkbZ dk; kÿ; I ftr ugha gS A | | | | | |
| ftyk Lrj | ftyk dk; Øe vf/kdkjh | dk; kÿ;] ftyk dk; Øe vf/kdkjh] fi FkkSj kx<+ | 05964&227890 | ed; fodkl vf/kdkjh | ed; fodkl vf/kdkjh] fi FkkSj kx<+ | 05964&225404 |
| Cykad Lrj | Cykad Lrj | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh /kkj pnyk | 05967222116 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh cjhukx | & | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh euL; kjh | 05961222172 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh xæksyhgkV | & | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh ewkdksV | 05964&266640 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh fo.kj ½fi FkkSj kx<½ | 05964&226728 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dukyhNhuk | & | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |
| | | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh MhMhgkV | 05964&232812 | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh vkbDI hOMhO, I O fi FkkSj kx< | 05964&227890 |

| | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------|
| Ø0 | I gk; d ykd I puk vf/kdkjh | | |
| I 0 | i nuke | dk; kÿ; dk i wkz i rk | Vyh- ua@ bÿ&esy |
| | ftykLrj | | |
| 1- | lk' kkl fud vf/kdkjh | ftyk dk; ðæ vf/kdkjh] dk; kÿ; vkbDI hOMhO, I O fi Fkkj kx< | 05964&227890 |
| | Cykd Lrj | & | & |
| 01 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; /kkj pnyk | & |
| 02 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; euL; kjh | & |
| 03 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; MhMhgkV | & |
| 04 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; cjhukx | & |
| 05 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; dukyhNhuk | & |
| 06 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; MhMhgkV | & |
| 07 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; fo.k | & |
| 08 | ofj"Bre eq; I fodk | cky fodkl i fj; kst uk vf/kdkjh dk; kÿ; xæksyhgkV | & |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



उत्तराखण्ड शासन

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या— 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़

महिला | 'kfDrdj.k एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

2012—13

अध्याय—सत्रह

, s h vU; l p u k t k s f o f g r d h t k ; s
foHkkx ds dfri ; egRoi w k z ' k k l u k n s ' k f o H k k x } k j k i z d k f ' k r i f r o n u i f L r d k
e a m i y C / k g A v U ; ' k k l u k n s ' k t k s f d l e ; & l e ; i j v k o ' ; d r k d s v u d k j
t k j h f d ; s x ; s g A f u n s ' k k y ; e a r F k k l e L r f t y k d k ; z d e d k ; k z y ; k a e a m i y C / k
g A x k M Z Q k b z y k a , o a i = k o f y ; k a d k v / ; ; u d j ' k k l u k n s ' k k a d h i f r ; k W m D r
d k ; k z y ; k a l s i k l r d h t k l d r h g A